

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
संकल्प

संकल्प सं०:- 629/228 / पटना, दिनांक :- 25/09/2026
संचिका सं०- R-504/42/2024-Section-14-RDD-RDD(COM No-407800)

श्री किशोर कुणाल (अनुक्रमांक-158376), तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, दिघलबैंक (किशनगंज) सम्प्रति- प्रखंड विकास पदाधिकारी, पूर्णियां सदर (पूर्णियां) के विरुद्ध बिहार पंचायत राज अधिनियम की धारा-44(3)(प०) के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित नहीं करने, न्यायालयीय आदेश की अवहेलना, कर्तव्य के प्रति लापरवाही, निष्ठाहीनता, अनुशासनहीनता एवं अपने अधिकार क्षेत्र का दुरुपयोग करने के आरोप पर जिला पदाधिकारी, किशनगंज के पत्रांक-1075 दिनांक-10.09.2024 द्वारा विहित प्रपत्र में आरोप पत्र उपलब्ध कराया गया।

जिला पदाधिकारी, किशनगंज द्वारा उपलब्ध कराये गये आरोप पत्र में वर्णित आरोपों पर विभागीय पत्रांक-3265412 दिनांक-16.10.2024 द्वारा श्री किशोर कुणाल से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। स्पष्टीकरण समर्पित करने हेतु श्री कुणाल को कई स्मारपत्रों द्वारा स्मारित किया गया। स्पष्टीकरण अप्राप्त रहने की स्थिति में विभागीय पत्रांक-5768574 दिनांक-16.06.2026 द्वारा श्री किशोर कुणाल को अंतिम रूप से इस आशय के साथ स्मारित किया गया कि यदि एक सप्ताह के अंदर आपका स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होता है तो यह समझा जायेगा कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है और विभाग में उपलब्ध कागजातों के आधार पर विभाग द्वारा निर्णय ले लिया जायेगा, परंतु इसके बावजूद भी श्री कुणाल द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया गया।

श्री किशोर कुणाल द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित नहीं करना विभागीय निदेश की अवहेलना का परिचायक है। श्री किशोर कुणाल के विरुद्ध जिला पदाधिकारी, किशनगंज द्वारा प्रतिवेदित आरोप गंभीर प्रकृति के हैं जिसकी वृहत एवं गहन जाँच की आवश्यकता है। तदालोक में श्री किशोर कुणाल के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया है।

उक्त के आलोक में श्री किशोर कुणाल (अनुक्रमांक-158376), तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, दिघलबैंक (किशनगंज) सम्प्रति- प्रखंड विकास पदाधिकारी, पूर्णियां सदर (पूर्णियां) के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही संचालित करने हेतु प्रमंडलीय आयुक्त, भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर को संचालन पदाधिकारी एवं उपस्थापन पदाधिकारी के रूप में जिला पदाधिकारी, किशनगंज द्वारा नामित पदाधिकारी प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी होंगे।

एतद् द्वारा श्री किशोर कुणाल को आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रति प्राप्त होने पर संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर जैसा कि संचालन पदाधिकारी आदेश दें अपना स्पष्टीकरण/लिखित बचाव बयान (साक्ष्य सहित) उनके समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

अनुशासनिक कार्यवाही संचालन के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
आदेश:- आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रति सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(नलिन प्रताप राणा)

विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक:- 629/328 / पटना, दिनांक :- 25/07/2026

संचिका संO- R-504/42/2024-Section-14-RDD-RDD(COM No-407800)

प्रतिलिपि:- प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को (दो प्रतियों में, सी०डी० सहित) बिहार गजट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग), विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

23/09/2026
विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक:- 629/328 / पटना, दिनांक :- 25/07/2026

संचिका संO- R-504/42/2024-Section-14-RDD-RDD(COM No-407800)

प्रतिलिपि:- प्रमंडलीय आयुक्त, भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर/जिला पदाधिकारी, किशनगंज एवं पूर्णियां/उप विकास आयुक्त किशनगंज एवं पूर्णियां/कोषागार पदाधिकारी, किशनगंज एवं पूर्णियां/प्रभारी पदाधिकारी प्रशाखा-03, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना/आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण विकास विभाग (विभागीय वेबसाईट पर प्रदर्श हेतु)/श्री किशोर कुणाल (अनुक्रमांक-158376), तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, दिघलबैंक (किशनगंज) सम्प्रति- प्रखंड विकास पदाधिकारी, पूर्णियां/सदर (पूर्णियां) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

संचालन पदाधिकारी को आरोप पत्र एवं संबंधित अभिलेख/कागजात की प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि अनुशासनिक कार्यवाही तुरंत आरंभ कर दें तथा अपना प्रतिवेदन शीघ्र देंगे एवं कार्यवाही अभिलेख के साथ आदेश फलक संलग्न कर अपना निष्कर्ष तीन प्रतियों में विभाग/सरकार को प्रस्तुत करेंगे।

जिला पदाधिकारी, किशनगंज को पत्र की प्रति इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि सरकार का पक्ष रखने हेतु वे जिला स्तर के किसी वरीय पदाधिकारी को उपस्थापन पदाधिकारी नामित करते हुए पत्र का तामिला कराकर अनुशासनिक कार्यवाही में उपस्थित होने का निदेश देंगे।

23/09/2026
विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक:- 629/328 / पटना, दिनांक :- 25/07/2026

संचिका संO- R-504/42/2024-Section-14-RDD-RDD(COM No-407800)

प्रतिलिपि:- आप्त सचिव, मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

23/09/2026
विशेष कार्य पदाधिकारी